03-10-2023 आज यह पत्रावली साक्षी वादी महेन्द्र के प्रार्थनापत्र पर तलब होकर पेश हुई। वादी की पहचान उनके वकील श्री सीताराम चौधरी एडवोकेट ने की। साक्षी का प्रार्थनापत्र पर सुना गया। साक्षी का कथन रहा कि प्रकरण में पक्षकारान के मध्य समझौता हो गया है। अतः प्रकरण इसी स्तर पर विड्राव कर डिस्पोज कर दिया जावे। साक्षी का प्रार्थनापत्र स्वीकार होने योग्य पाये जाने की स्थिति में स्वीकार किया जाता है। पत्रावली Not Press में खारीज की जाती है। फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Not Press

Copy
Mahendra
Advocate